

कार्यालय नगर परिषद, परिषद, देवरिया।

पत्रांक 878 / प0प्र0का0-2016-17 / देवरिया

दिनांक: 23-9-16

दर आमंत्रण हेतु अति-अल्पकालिक निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद देवरिया के मार्ग प्रकाश अनुभाग के अन्तर्गत पालिका निधि/राज्य वित्त/13/14वाँ वित्त से निम्न आपूर्ति/फिटिंग कार्य हेतु फिलिप्स, हैवेल्स, क्राम्प्टन ग्रीवज, बजाज, सूर्या ब्रान्ड आदि के मूल निर्माताओं/उनके डीलर्स से मुहर बन्द निविदा/दर दिनांक 07-10-16 को 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो जिलाधिकारी देवरिया कार्यालय के एल.बी.सी. पटल पर रखे गये निविदा बाक्स में निर्धारित तिथि/समय तक डाली जायेगी तथा उसी दिन इच्छुक निविदादाताओं के समक्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से 3.30 बजे खोली जायेगी। निविदा/दर तिथि को अवकाश होने की दशा में अगले कार्य दिवस पर डाली/खोली जायेगी। निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया के पक्ष में राष्ट्रीय कृत बैंक से एफ.डी.आर./टी.डी.आर./एन.एस.सी./के.बी.पी. आदि के रूप में निर्गत हो तथा आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि चेक द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। टेण्डर/दर के साथ डीलरशिप का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। डीलर प्रमाण पत्र संलग्न कर, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा प्रपत्र दिनांक 06-10-16 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक कार्यालय नगर पालिका परिषद देवरिया प्रकाश लिपिक पटल एवं कलेक्ट्रेट स्थित एल.बी.सी. पटल से निर्धारित शुल्क नगद भुगतान करके प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त विज्ञापन को कलेक्ट्रेट देवरिया के चालू वेबसाइट www.Deoria.nic.in or www.municipaldeoria.in पर देखे जा सकते हैं। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटायी अथवा बढ़ाई जा सकती है। एक अथवा सभी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया में निहित होगा। अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित पटल से प्राप्त किया जा सकता है।

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	जमानत धनराशि	निविदा मूल्य	कार्यावधि
1	एल0ई0डी0 लाइट कम्पलीट फिटिंग 48 वाट	261000=00	2650=00	15 दिन

नियम व शर्त:-

- 1- निविदा पर निविदादाता के स्पष्ट एवं पूर्ण हस्ताक्षर होना चाहिए। स्पष्ट हस्ताक्षर न होने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 2- निविदादाता को निविदा की दरे स्पष्ट रूप से शब्दों व अंको में निर्धारित स्थान पर साफ-साफ अंकित करनी होगी।
- 3- निविदाएँ सिर्फ प्रति अद्द की दरे हेतु मांगी गयी है। आवश्यकतानुसार सामग्री की मात्रा आपूर्ति/फिटिंग कार्य आदेश में दी जायेगी तथा स्वीकृत दर पर न्यूनतम निविदादाताओं को आपूर्ति/फिटिंग कार्य एक सप्ताह के अन्दर करनी होगी।
- 4- डाक द्वारा प्राप्त केवल उन्हीं निविदाओं पर विचार किया जायेगा, जो नियत अवधि के अन्दर प्राप्त होगी।
- 5- अनुबन्ध स्टैम्प पेपर ट्रेजरी (कोषागार) से सीधे क्रय करना अनिवार्य होगा।
- 6- निविदा में प्राप्त दरो की बैधता 31 मार्च 2017 तक होगी। इस अवधि में पालिका की आवश्यकतानुसार आपूर्ति/फिटिंग कार्य करने के लिए स्वीकृत निविदादाता बाध्य होगा।
- 7- यह कि निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति/फिटिंग कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब पर अर्धदण्ड देय होगा।
- 8- सफल निविदादाता द्वारा यदि समय से आपूर्ति/फिटिंग कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो नगर पालिका परिषद को यह अधिकार होगा कि वह आपूर्ति/फिटिंग कार्य किसी अन्य से करा ले तथा इस प्रक्रिया में जो पालिका को अधिक व्यय करना होगा वह निविदादाता के धरोहर धनराशि से जप्त कर पूर्ण कर लिया जायेगा।
- 9- सफल निविदादाता द्वारा पहले एल.ई.डी. लाइट सामग्री का सैम्पल पथ प्रकाश स्टोर में देना अनिवार्य होगा, इसके पश्चात ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
- 10- किसी या सभी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिका परिषद देवरिया के पास सुरक्षित होगा। किसी भी विवाद के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद देवरिया का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 11- न्यूनतम निविदादाता को आपूर्ति आदेश के अनुसार सम्पूर्ण आपूर्ति/फिटिंग कार्य एकमुश्त करना अनिवार्य होगा।
- 12- यह कि उक्त कार्यों में प्रयुक्त होने वाली एल.ई.डी. लाइट/ल्यूमिनेयर आदि की गुणवत्ता उच्च विशिष्टता, वाटर प्रूफ तथा भारत सरकार के भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गुणवत्ता निर्धारण हेतु आई.एस.आई. माड्यूल तथा एल.एम.-79 आई.पी.-67 अथवा 65 व 66 का ही दर स्वीकार होगा तथा उसका प्रमाण पत्र की छायाप्रति निविदा/दर के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 13- यह कि उक्त लाइट कार्य में प्रयुक्त होने वाली एल.ई.डी. लाइट/ल्यूमिनेयर आदि पर कम से कम 5 वर्ष की रिप्लेसमेन्ट की गारन्टी / वारन्टी देना अनिवार्य होगा।
- 14- आपूर्ति/फिटिंग कार्य लिये जाने वाले सोलर लाइट/एल.ई.डी. लाइट आदि उपकरणों के लिए व्यापार कर में पंजीकृत व्यापारी/आपूर्तिकर्ता होना अनिवार्य होगा।
- 15- उत्तर प्रदेश व्यापार/आयकर विभाग से पंजीकृत फर्मों को ही निविदा खरीदने व डालने का अधिकार होगा।

(निलेश रमन)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, देवरिया।

(अलका सिंह)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, देवरिया।

पत्रांक

/प0प्र0अनु0-16-17/देवरिया

दिनांक :

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सम्पादक हिन्दी दैनिक समाचार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना सरकारी दर पर कम से कम स्थान पर प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
- 2- अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, देवरिया।
- 3- एन.आई.सी. प्रभारी, कलेक्ट्रेट, देवरिया को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना का प्रकाशन अपने वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।
- 4- श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव/रवि प्रकाश श्रीवास्तव, कम्प्यूटर कक्ष, को इस आशय से कि पालिका के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- नोटिस बोर्ड, नगर पालिका, कलेक्ट्रेट, तहसील, लो0नि0वि0, विकास भवन देवरिया पर चरपा हेतु।

(अलका सिंह)
अध्यक्ष